भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1167
11 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

केरोसिन की आपूर्ति

+1167. श्री शफी परम्बिल:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में मछुआरों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केरोसिन की अपर्याप्त आपूर्ति के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केरोसिन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण केरल में मछुआरा समुदाय गंभीर वित्तीय संकट में है;

(ग) क्या सरकार केरल में मछुआरों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन आपूर्ति की मात्रा बढ़ाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ): पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इस विषय में नोडल मंत्रालय है जिसने सूचित किया है कि भारत सरकार खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के उद्देश्य से तिमाही आधार पर केरल सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को "सार्वजनिक वितरण प्रणाली / पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन (पीडीएस) केरोसिन" का आवंटन करती है। केरोसिन की प्रदूषणकारी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तथा घरेलू एलपीजी/पीएनजी कनेक्शनों में वृद्धि, बिजली कवरेज, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीडीएस केरोसिन कोटा न लेने आदि जैसे कारकों के आलोक में केरल सहित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को पीडीएस केरोसिन आवंटन को 2010-11 से कम कर दिया गया है । वित्त वर्ष 2023-24 तक, 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वयं को केरोसिन मुक्त घोषित कर दिया है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, धार्मिक कार्यों, मात्स्यिकी, विभिन्न यात्राओं आदि जैसी विशेष जरूरतों के लिए गैर-सब्सिडी दरों पर पीडीएस केरोसिन का एक महीने का कोटा आवंटित करने का अधिकार दिया है। उपलब्ध कोटा समाप्त होने के बाद राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अतिरिक्त आवंटन की मांग कर सकते हैं। अंतिम उपभोक्ताओं को वितरण स्केल, मानदंड, पद्धति आदि भी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि केरल सरकार के अनुरोध पर विचार करते हुए,पहले से आवंटित 648 किलो लि॰ गैर-सब्सिडी वाले पीडीएस केरोसिन कोटे के अलावा,15 जनवरी,2025 को 600 किलो लि॰ का अतिरिक्त आवंटन भी किया गया है,जिससे वर्ष 2024-25 के लिए कुल 1248 किलो लि॰ गैर-सब्सिडी वाले पीडीएस एसकेओ का आवंटन हो गया है।

*****